

नई रोशनी योजना की दूसरी किस्त जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट

क्र.सं.	आवश्यक दस्तावेज
1.	मंत्रालय द्वारा अधिकृत केंद्र सरकार के अधिकारी/राज्य सरकार के अधिकारी/स्वतंत्र मॉनिटर द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्ट क. तारीख (तारीख प्रशिक्षण अवधि के बीच होनी चाहिए) ख. निरीक्षण अधिकारी का नाम
2.	आयोजित प्रशिक्षण की प्रगति रिपोर्ट क. प्रशिक्षण शेड्यूल) ख. प्रशिक्षुओं की सूची) ग. उल्लिखित योग्यता वाले संसाधन व्यक्ति की सूची)
3.	सीए द्वारा विधिवत सत्यापित दिनांक और यूडीआईएन संख्या के साथ जीएफआर-12 ए में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी)
4.	सीए द्वारा विधिवत सत्यापित लेखा का लेखापरीक्षित विवरण (आय और व्यय खाता, प्राप्तियां और भुगतान खाता और बैलेंस शीट) दिनांक और यूडीआईएन संख्या के साथ।
5.	नामित प्राधिकारी द्वारा प्रशिक्षण के संतोषजनक समापन का प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत के प्रधान/नगर निगम के सदस्य/स्थानीय निकाय/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी)
6.	अन्य मंत्रालयों से समान अनुदान प्राप्त न करने का शपथ पत्र
7.	आयोजित प्रशिक्षण के फोटो/वीडियो/क्लिपिंग
8.	पैम्फलेट और प्रचार सामग्री
9.	नीति आयोग पंजीकरण (जिले के अद्यतन नाम के साथ जहां प्रशिक्षण आयोजित किया गया)
10.	संगठन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (नवीनीकृत)
11.	पैन नंबर
12.	पीआईए का बैंक विवरण
13.	बैंक स्टेटमेंट (पहली मंजूरी जारी होने की तारीख से यूसी जारी करने की तारीख तक) और सभी लाभार्थियों को वजीफे के भुगतान भी प्रतिबिंबित होना चाहिए।

नई रोशनी योजना की तीसरी किस्त जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच सूची

1. दूसरी किस्त की राशि के साथ स्वीकृत की गई पूर्ण राशि का यूडीआईएन नंबर और तारीख के साथ जीएफआर-12ए में प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी)।
2. UDIN नंबर और तारीख के साथ प्राप्त दूसरी किस्त की राशि के साथ ऑडिट रिपोर्ट (आय और व्यय खाता, प्राप्तियां और भुगतान खाता और बैलेंस शीट)।
3. सभी बैचों की 12 माह की हैंडहोल्डिंग रिपोर्ट (उपस्थिति पत्रक) जिसमें सरपंच/प्रधान आदि जैसे स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि या प्रखंड विकास अधिकारी/उप-मंडल अधिकारी/स्थानीय निकाय/प्रतिनिधि के प्रतिहस्ताक्षर हों।